पत्रांक : वि०प्र० 6ए–12/2013...831/वि०

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

राँची/दिनांक 12/05/2020

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के सेवीवर्ग को दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से छठा केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना को स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्त विभागीय संकल्प 217/वि॰ दिनांक 18.01.2017 के द्वारा राज्य कर्मियों को सप्तम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया गया है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3(2)/2008-E.II(B), दिनांक 25.10.2019 के द्वारा केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय स्वशासी निकाय के वैसे कर्मी, जो अपुनरीक्षित पंचम वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, के लिए दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर 312% (तीन सौ बारह प्रतिशत) कर दी गयी है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में राज्य के वैसे संवर्ग/कर्मी, जो अपुनरीक्षित पंचम वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, के संबंध में निर्णय लिया गया है कि उन्हें केन्द्र के अनुरूप दिनांक 01.07.2019 से महँगाई भत्ता की दर 295% (दो सौ पनचानवें प्रतिशत) से अभिवृद्धि करते हुए 312% (तीन सौ बारह प्रतिशत) स्वीकृत किया जाय।

4. झारखंड सेवा संहिता के परिभांषा नियम 34(ए) के अनुसार मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय है, परन्तु विशेष/वैयक्तिक वेतन पर यह देय नहीं होगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 527/वि० दिनांक 24.02.2020 के क्रम में दिनांक 17.03.2020 की बैठक के मद सं० 17 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक॰), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(हस्ताक्षर) 11/5/20

(के॰ के॰ खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, राँची।